

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक. एफ 21(58)ग्रा.वि/नरेगा/मु.म. बजट घोषणा/2013

जयपुर, दिनांक : 20/11/2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय: 150 दिवस से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ: इस विभाग का पत्रांक 1(32)/नरेगा/बजट घोषणा/2013 दिनांक 28.03.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट की क्रियान्विति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के उपरान्त 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार, राज्य सरकार द्वारा राज्य मद से उपलब्ध कराया जा रहा है।


एमआईएस पर दिनांक 15.01.2014 (परिशिष्ट-अ) पर उपलब्ध सूचना से यह स्पष्ट होता है कि जिलों द्वारा उक्त निर्देशों के विरुद्ध 150 दिवस से अधिक का रोजगार नरेगा श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यह स्थिति निर्देशों के प्रतिकूल है 150 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर उत्पन्न देयता के लिए राज्य स्तर से कोई राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी तथा इसके लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ही उत्तरदायी होंगे।

राज्य सरकार के पूर्व निर्देश दिनांक 16.06.2011, 12.07.2011 व 26.06.2012 के अनुसार बांरा जिले में सहरिया व खैरुआ तथा उदयपुर जिले की कथौड़ी जनजाति के परिवारों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अनुमत है। अतः उक्त निर्देशों के अनुसार जिला बांरा व उदयपुर में 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

कृपया इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशों की सख्ती से पालना हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें तथा किसी भी स्थिति में महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष में 150/200 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जावे। संलग्न विवरण के अनुसार 150 दिवस से अधिक श्रम दिवसों का भुगतान कराने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(कृष्ण लाल मीणा)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।



वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

**Statement showing More than 150 days employment given by districts
in F.Y. 2013-14 as on 15.01.2014**

S. No.	District	Total attendance above 150 days	
		House Hold Employed	Persondays Generated
1	AJMER	63	9744
2	ALWAR	7	1079
3	BANSWARA	584	90555
4	BARAN	137	22869
5	BARMER	194	30062
6	BHARATPUR	77	11944
7	BHILWARA	38	5872
8	BIKANER	197	30633
9	BUNDI	5	771
10	CHITTORGARH	69	10667
11	CHURU	45	6971
12	DAUSA	41	6353
13	DHOLPUR	14	2193
14	DUNGARPUR	1054	163221
15	HANUMANGARH	111	17018
16	JAIPUR	10	1543
17	JAISALMER	29	4509
18	JALORE	467	72362
19	JHALAWAR	55	8540
20	JHUNJHUNU	15	2310
21	JODHPUR	93	14377
22	KARALI	87	13462
23	KOTA	14	2138
24	NAGPUR	172	26555
25	PALI	41	6339
26	PRATAPGARH	34	5259
27	RAJSAMAND	123	19039
28	SAWAI MADHOPUR	37	5726
29	SIKAR	51	7895
30	SIROHI	12	1878
31	SRI GANGANAGAR	92	14204
32	TONK	12	1890
33	UDAIPUR	324	54541
Total		4304	672519